न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 327/2018(2018/00499)

मोहन पुत्र श्री देवाराम रेगर जाति रेगर निवासी बड़ला तहसील फूलियांकला केकडी जिला अजमेर।

----प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. अनिल पुत्र श्री ताराचन्द निवासी सदारा
2. ताराचन्द पुत्र श्री शोभाग जाति जैन
3. रतनलाल पुत्र श्री शोभाग जाति जैन
4. रतनलाल पुत्र श्री शोभाग जाति जैन
5. प्रकाशचन्द पुत्र श्री शोभाग जाति जैन
6. रामकरण पुत्र श्री लादू जाति गुर्जर निवासीगण सदारा तहसील सावर जिला अजमेर।
7. जगदीश पुत्र श्री नाना जाति गुर्जर निवासी आलोली तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
8. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सावर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उपस्थित:–

प्रार्थी वकील :– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 08/04/2022

प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम सदारा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमावन्दी संवत **2069–72** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
682–844	1225 1250	0.39 0.65	बारानी उत्तम बारानी उत्तम
	कुल किता 2	रकबा 1.04	

उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है एंव अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की एकमात्र खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है। जिसमे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। तथा न ही रास्ता व [illegible] है तथा प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। अप्रार्थी [illegible] लगायत 7 आये दिन प्रार्थी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पर अवैध व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत से हैरान व परेशान करते रहते है तथा आये दिन सीमा चिन्ह जीर्णशीर्ण होने की वजह से पार्थी की भूमि पर यानि अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने पर आमादा रहते है। पार्थी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने तथा जबरन बैदखल करने की धमकीया देते है। पूर्व मे भी प्रार्थी ने कई बार सीमाज्ञान करवाया लेकिन अप्रार्थीगण नही माने इसलिए स्थायी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित एव आवश्यक है। दिनांक 14.06.2018 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 प्रार्थी की उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात के पडौसी होने के कारण बद्धनियति पूर्वक अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने की धमकीया देते हुए आये ओर पार्थी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। तथा दिनांक 15.07.2018 को पुनरू अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 प्रार्थी की उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात को जबरन उनके हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने लगे तब प्रार्थी ने मना किया तो नही माने इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त कृषि भूमि को नाप चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जाना प्रार्थनीय हुआ ताकी प्रार्थी को बहुवाद कार्यवाहीयो मे नही उलझना पडे। इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमाचिन्ह जिर्णशिर्ण व अदर्शनीय होने के कारण आये दिन अप्रार्थीगण बद्धनियति पूर्वक विवाद करते रहते है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का नाप चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह अंकित या स्थापित नही किये जाते है। तो प्रार्थी को अनेकानेक न्यायिक कार्यवाहीयों मे उलझना पडेगा तथा अपने हक हिस्से की आराजीयात से वंचित होना पडेगा। इसलिए उक्त आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय हुआ।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाउजुद सुचना के अनुपस्थित रहे पुर्व मे दिनांक 18.5.2018 तहसीलदार साहब सीमाज्ञान हो चुका है संलग्न जमाबन्दी प्रतिलिपी व मौका पर्चा पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से नाम डीलिट करते हुए आदेश पारित किये जाने हेतु पेश किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा. अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम सदारा तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 862–844 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner